न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. मनोज तिवारी (आर.जे.एस.)

प्रकरण संख्या : **901/2018**

पूजा उर्फ चित्रा उर्फ दीप्ती पुत्री श्याम मोहन टंडन पत्नी जयंत, आयु 22 वर्ष, निवासी हाल त्रिमूर्ति कॉलोनी, छत्रपुरा रोड, बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी (राजस्थान)

—प्रार्थीया

बनाम

1. जयंत उर्फ जयेन्द्र आत्मज श्री मदनगोपाल,
2. निर्मला पत्नी श्री मदनगोपाल,
3. मदनगोपाल आत्मज श्री घांसीलाल,
4. एकता पत्नी श्री जगदीश,
5. जगदीश आत्मज मदनगोपाल,
6. कामिनी पुत्री श्री मदनगोपाल,

निवासीगण इन्द्रा कॉलोनी, भटनागर एम्पोरियम की गली, नैनवां रोड, बून्दी (राज.)

—प्रत्यर्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा **12** घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम

उपस्थित :

(1) प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री तेज सिंह गौड।

(2) प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक।

:: आदेश **::** दिनांक **: 10.03.2026**

1- प्रार्थीया द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अन्तर्गत दिनांक 30.10.2018 प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि उसका विवाह दिनांक 29-01-2015 को शहर बून्दी में प्रत्यर्थी सं.1 जयंत उर्फ जयेन्द्र के साथ जातीय रस्मों-रिवाज एवं हिन्दू विधि अनुसार सम्पन्न हुआ। विवाह तय होने के समय प्रार्थीया के माता-पिता ने प्रत्यर्थी सं.1 तथा उसके परिजनों को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वे इस विवाह में दान-दहेज नहीं देंगे, जिस पर प्रत्यर्थी पक्ष ने यह कहकर विवाह संबंध स्वीकार किया कि उन्हें दहेज की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल बेटी चाहिए। उक्त आश्वासन के बावजूद विवाह के समय उसके माता-पिता एवं परिजनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पर्याप्त स्त्रीधन, आभूषण, घरेलू सामान, वस्त्र, उपहार एवं नकद राशि दी। विवाह के समय मिला समस्त स्त्रीधन, आभूषण एवं सामान प्रत्यर्थी

जयंत और उसके परिजन अपने साथ ले गये और वर्तमान में भी उसका अधिकांश स्त्रीधन प्रत्यर्थीगण के कब्जे में है, जिसे मांगने पर भी वापस नहीं लौटाया गया।

2- प्रार्थीया ने आगे कहा कि विवाहोपरान्त वह विदा होकर अपने पति जयंत के साथ ससुराल आ गई और उसका सम्पूर्ण स्त्रीधन भी जयंत तथा उसके परिजन अपने साथ ले आये, किन्तु डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल एवं फ्रिज यह कहकर उसके पीहर में छोड़ दिये गये कि बाद में मकान निर्माण होने पर इन्हें ले जाया जाएगा। प्रार्थीया के अनुसार विवाह के लगभग एक माह बाद ही जयंत तथा उसके बड़े भाई ने उसके पिता से उक्त सामानों के बदले ₹50,000/- नकद प्राप्त कर लिये। इसके पश्चात लगभग आठ-दस दिन बाद से ही उसकी सास, ननद एवं जेठानी का व्यवहार उसके प्रति बदल गया। वे छोटी-छोटी बातों पर ताने देने लगीं कि उसके माता-पिता के पास संपत्ति होते हुए भी उन्होंने साधारण शादी की, कोई गाड़ी नहीं दी, और विवाह उनके मान-सम्मान के अनुरूप नहीं किया। प्रार्थीया ने कहा कि उसका पति जयंत भी उसकी माता से इनफिल्ड मोटरसाइकिल दिलाने के लिये कहता था। जब प्रार्थीया की माता ने मोटरसाइकिल दिलाने से मना किया, तब सास निर्मला और भाभी एकता ने उसे और उसकी माता को भला-बुरा कहा। उसके अनुसार मांगें यहीं समाप्त नहीं हुईं, बल्कि विवाह के बाद से ही उससे लगातार दहेज एवं अतिरिक्त धनराशि की अपेक्षा की जाती रही।

3- प्रार्थीया ने यह भी कथित किया कि विवाह के लगभग एक माह बाद वह गर्भवती हो गई। जब उसने अपनी सास और पति को गर्भधारण की सूचना दी, तब सास, भाभी, जेठ और पति उसे गर्भ गिराने के लिये कहने लगे। जब उसने गर्भ गिराने से मना किया और बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की, तब ससुराल पक्ष का व्यवहार उसके प्रति और अधिक कठोर हो गया। वे उसके काम में कमी निकालते, उसे ताने देते कि उसे घर-गृहस्थी का कार्य नहीं आता, और यदि कार्य नहीं आता तो अपने मायके से नौकरानी लगवाए। उसका कथन है कि वह सब कुछ सहते हुए अपना वैवाहिक दायित्व निभाती रही, किन्तु प्रार्थीया के बीमार होने पर उसका इलाज नहीं कराया गया और उससे कहा जाता रहा कि अपने माता-पिता से ₹5,00,000/- लेकर आ ताकि कार खरीदी जा सके। प्रार्थीया ने विशेष रूप से कहा कि उसकी ननद कामिनी भी जब पीहर आती तो दहेज के लिये ताने मारती और सास-ससुर, ननद, जेठ-जेठानी उसके पति को उसके विरुद्ध भड़काते हुए कहते कि यदि उसके माता-पिता दहेज की मांग पूरी नहीं

करते तो उससे तलाक कर दूसरी शादी कर दी जाएगी तथा उसे इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि लोग और अदालत भी उसे गलत समझें। गर्भावस्था के दौरान भी उसका उचित इलाज नहीं कराया गया और उपचार का खर्च उसकी माता-पिता को वहन करना पड़ा।

4- प्रार्थीया ने आगे यह तथ्य भी अंकित किया कि जब वह गर्भ के आठवें माह में थी तो एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ, किन्तु ससुराल वालों ने उसके कहने के बावजूद इलाज नहीं कराया। तब उसने मजबूर होकर अपनी माता को फोन किया। इसके बाद उसकी जेठानी ने उसे इलाज हेतु भेजा। उक्त व्यवहार से व्यथित होकर उसकी माता उसे लेने आई और दिनांक 25-11-2015 को वह अपने पीहर आ गई। वहीं रहते हुए उसने दिनांक 01-01-2016 को पुत्री, जिसका नाम कुहु उर्फ एंजिल बताया गया, को जन्म दिया। प्रार्थीया का कहना है कि ससुराल पक्ष को सूचना देने पर वे केवल एक दिन अस्पताल मिलने आये, परन्तु उसके बाद न तो प्रार्थीया की और न नवजात पुत्री की कोई सुध ली। इसके विपरीत वे लड़की के जन्म से नाराज हुए और कहा कि वे इस लड़की को नहीं पाल सकते। प्रार्थीया ने कहा कि दिनांक 25-11-2015 से वह अपने माता-पिता के पास ही रह रही है और पुत्री के जन्म से लेकर बाद का समस्त खर्च उसके माता-पिता उठा रहे हैं। इस बीच ससुराल पक्ष ने न तो उसे वापस ले जाने का कोई वास्तविक प्रयास किया और न ही उसके या उसकी पुत्री के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था की।

5- प्रार्थीया ने यह भी कहा कि विवाह के बाद एक बार उसकी छोटी बहन महक उसके ससुराल आई थी, तब भी उसके सामने सास, जेठानी तथा पति ने उसे दहेज के लिये प्रताड़ित किया। उसने कहा कि एक बार पति उसके पीहर आया तो उसकी माता ने हँसी-मजाक में कहा कि वे अपनी सम्पत्ति छोटी बेटी के नाम कर देंगे। इस बात को जयंत ने जाकर अपने माता-पिता को बताया, जिस पर सास-ससुर तथा जेठ ने भी उसे अपमानित किया और कहा कि यदि उसके माता-पिता सम्पत्ति में हिस्सा नहीं देंगे तो वह भी अपने पीहर में ही जाकर रहे। प्रार्थीया ने यह भी कहा कि उसके पति ने दहेज की मांग को लेकर दो-तीन बार उसके साथ मारपीट की। फिर भी वह घर-गृहस्थी बनाये रखने के लिये पति को फोन कर, बिना अपनी गलती के भी क्षमा मांगती रही, किन्तु पति ने अपने परिजनों के प्रभाव में आकर उसका और उसकी पुत्री का परित्याग कर दिया।

6- प्रार्थीया ने दिनांक 02-07-2016 की घटना का भी विशेष उल्लेख किया, जिसमें उसने कहा कि उसके पति, जेठ, ननद और सास रात्रि लगभग 11:30 बजे उसके पीहर आये और उसके माता-पिता से दहेज की मांग करते हुए कहा कि अब तो उसने लड़की को जन्म दे दिया है, उसका खर्च भी आपको ही देना होगा, तभी हम इसे अपने साथ रखेंगे। इस पर काफी कहासुनी हुई। प्रार्थीया का कहना है कि उसके मोहल्ले के कन्हैयालाल, किशनलाल, मंजु शर्मा आदि ने समझाइश की, किन्तु प्रत्यर्थीगण लगभग दो से ढाई घंटे तक बहस करते रहे और मानने को तैयार नहीं हुए। प्रार्थीया ने एक अन्य घटना यह भी वर्णित की कि जुलाई 2015 में एक रात जब वह अपने पति के साथ कमरे में सो रही थी और दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई, तब सुबह लगभग 5:30 से 6:00 बजे उसके ससुर कमरे में आये और उसकी छाती पर हाथ रखकर अश्लील हरकत की। उसके अनुसार वह अचानक जागी, पति को जगाया, तब ससुर वहाँ से निकल गया। उसने आगे कहा कि जब वह अपने पीहर रह रही थी तब दिनांक 09-02-2016 को उसके पति, जेठ और जेठानी उसके घर आये और उसके तथा उसके माता-पिता के साथ गाली-गलौच तथा अभद्र व्यवहार किया। अप्रैल 2016 में पति और ननद फिर उसके पीहर आये और दहेज की मांग करते हुए दुर्व्यवहार किया।

7- प्रार्थीया ने यह भी कहा कि अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग पूरी किये बिना उसे और उसकी पुत्री को अपने साथ रखने के लिये तैयार नहीं हैं। उसने कहा कि उसके माता-पिता ने अनेक बार पति को समझाया, किन्तु वह भी अपने परिवार के बहकावे में आकर उसे साथ रखने के लिये तैयार नहीं हुआ तथा धमकी देता रहा कि यदि उसने तलाक नहीं दिया तो वह जहर खाकर मर जाएगा और उसे तथा उसके परिवार को जेल भिजवा देगा। प्रार्थीया के अनुसार उसके वैवाहिक जीवन के पुनः प्रारम्भ होने की कोई संभावना अब शेष नहीं रह गई है। उसने यह भी कहा कि विवाहोपरान्त लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक उसे और उसकी पुत्री को कोई भरण-पोषण नहीं दिया गया, जिससे उनके सामने जीवन-यापन का संकट उत्पन्न हो गया और माता-पिता ही उनका पालन-पोषण कर रहे हैं।

8- प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि उसने दिनांक 26-12-2016 को पुष्पक कोरियर के माध्यम से रसीद संख्या 162894 द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को लिखित रिपोर्ट प्रेषित की, किन्तु पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया और न ही उसका स्त्रीधन बरामद कराया। उसके बाद उसने न्यायालय के

समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर सुनवाई के पश्चात परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत महिला पुलिस थाना, बून्दी को भेजा गया। वहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 4/2017 अपराध अंतर्गत धारा 498-ए, 406 भा.दं.सं. में दर्ज हुई। प्रार्थीया का कहना है कि उक्त प्रकरण में बाद में प्रत्यर्थीगण उसके परिवार के पास आये, अपनी गलती के लिये माफी मांगी, और उसने भी गृहस्थी बचाने के उद्देश्य से उनके साथ राजीनामा कर प्रकरण का निस्तारण करा दिया। किन्तु बाद में उसे ज्ञात हुआ कि प्रत्यर्थीगण ने षडयन्त्रपूर्वक धोखाधड़ी करके उससे राजीनामा कराया, जबकि उनकी मंशा कभी भी गृहस्थी बसाने की नहीं थी। उसने कहा कि राजीनामे के बाद ससुराल ले जाकर ननद कामिनी और जेठानी ने उसके साथ गाली-गलौच, अभद्र व्यवहार एवं मारपीट की और उसे ताने दिये कि उसने ससुर वाली बात रिपोर्ट में क्यों लिखवाई, यह सब मुकदमा खारिज कराने के लिये नाटक था। उसने यह भी कहा कि राजीनामे के पाँच दिन बाद जयंत और जगदीश उसके पीहर गये और वहाँ रखा डबल बेड, ड्रेसिंग आलमारी और फ्रिज ले गये तथा कहा कि जो ₹50,000/- पहले लिये थे, लौटा देंगे; किन्तु उक्त राशि आज तक वापस नहीं की गई। इसके बाद जयंत उसे कुछ दिन ससुराल में रखकर फिर उसके पीहर छोड़ गया और कहा कि वह वहीं रहकर काम-धन्धा करेगा, परन्तु उसने कोई काम-धन्धा शुरू नहीं किया। एक दिन वह बिना बताये चला गया और मोबाइल भी बंद कर दिया। बाद में उसके परिजनों ने समाचार पत्र में जयंत को सम्पत्ति से बेदखल करने का विज्ञापन प्रकाशित कराया। इस पर भी प्रार्थीया ने 31-05-2017 को पुलिस अधीक्षक, बून्दी तथा थाना सदर बून्दी को लिखित रिपोर्ट भेजी, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थीया का कथन है कि जब वह राजीनामे के बाद पुनः पीहर आई, तब वह केवल पहने हुए कपड़ों में ही आयी थी और उसका अधिकांश स्त्रीधन अभी भी ससुराल में है। उसने यह भी कहा कि बाद में प्रत्यर्थी जयंत ने उसके विरुद्ध विवाह विच्छेद का प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत कर दिया, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण उसे अपने साथ रखने के लिये तैयार नहीं हैं।

9- पत्रावली से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु बार-बार अवसर प्रदान किये गये, किन्तु उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा उनका जवाब बंद किया गया। इस प्रकार प्रार्थीया के प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों का विधिवत खण्डन लिखित रूप में पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। बाद में साक्ष्य हेतु भी प्रत्यर्थीगण को अवसर दिया गया, किन्तु उनकी

ओर से न तो कोई मौखिक साक्ष्य और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई। इस प्रकार प्रार्थीया की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई, उसका कोई प्रत्युत्तर साक्ष्य न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं है।

10- प्रार्थीया की ओर से स्वयं पूजा उर्फ चित्रा उर्फ दीप्ती पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में उपस्थित हुई। उसने अपने मुख्य परीक्षण में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थना-पत्र के तथ्यों की हुबहू पुनरावृत्ति की। उसने अपने कथनों के समर्थन में यह कहा कि उसके तथा जयंत व उसके परिवार वालों के साथ राजीनामे का करार दिनांक 17-01-2017 निष्पादित हुआ था, जो प्रदर्श-1 है। शुभम ज्वेलर्स, बून्दी से दिनांक 25-01-2015 को ज्वेलरी खरीदी गई थी, जिसका मूल बिल प्रदर्श-2 है। उसने यह भी कहा कि उसने जयंत के विरुद्ध धारा 406, 498-ए भा.दं.सं. की कार्यवाही की थी, जिसकी चैक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-3 है, फाईनल रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, पुलिस थाना द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा गया पत्र प्रदर्श पी-5 है, परिवाद प्रदर्श-6 है, परिवाद के साथ शपथ-पत्र प्रदर्श-7 है तथा फर्द जप्ती सुपुर्दगी सामान भी प्रदर्श-7 के रूप में पत्रावली पर अंकित है। यद्यपि प्रदर्श संख्या के अंकन में तकनीकी पुनरावृत्ति प्रतीत होती है, तथापि दस्तावेजों का स्वरूप और उनका उद्देश्य सुस्पष्ट है।

11- पी.डब्ल्यू.-1 की जिरह में उससे पूछा गया कि क्या उसने दूसरा विवाह कर लिया है। इस पर उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने दूसरा विवाह कर लिया है। उसने यह भी कहा कि यदि अप्रार्थी उसे निर्वाह-भत्ता दे दे और सारा जेवर व दहेज-सामान दे दे तब भी वह राजीनामा नहीं करेगी, क्योंकि उसकी बेटी का खर्च कौन देगा। उससे यह सुझाव किया गया कि 498-ए की कार्यवाही में सास-ससुर, जेठ आदि के नाम उसके द्वारा लिखवाये गये थे और पुलिस अनुसंधान में निकाल दिये गये, जिसे उसने नकारा। मारपीट की रिपोर्ट के सम्बन्ध में उसने कहा कि छोटी-छोटी बातों की मारपीट के सम्बन्ध में रिपोर्ट कराई थी, किन्तु वे पत्रावली में नहीं हैं। जिरह में यह भी सुझाव दिया गया कि पारिवारिक मामलों में भरण-पोषण कार्यवाही डिग्री हो गई है, जिस पर उसने स्वयं कहा कि उसे कुछ नहीं मिला है। उसने यह भी नकारा कि उसने खर्चा करने के लिये यह कार्यवाही की हो। पी.डब्ल्यू.-1 की जिरह से यह तथ्य निर्विवाद रूप से उभरता है कि प्रार्थीया ने बाद में दूसरा विवाह कर लिया है।

12- प्रार्थीया की ओर से आशा पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में प्रस्तुत हुई। उसने

अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 30-11-2022 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि उसमें वर्णित तथ्य सही एवं सत्य हैं तथा उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में उसने यह स्वीकार किया कि उसकी बेटी ने दूसरा विवाह कर लिया है। यह भी कहा गया कि उसकी बेटी व जयंत के मध्य भरण-पोषण बाबत कार्यवाही हुई थी, पी.डब्ल्यू.-2 ने यह भी कहा कि उन्होंने उक्त परिवाद मात्र पुत्री कुहु के भविष्य के लिये किया था। उसने यह नकारा कि जयंत व उसके परिवार वाले उसकी बेटी को मानसिक रोगी या पागल कहते थे। उसने यह भी नकारा कि जयंत पूजा को रिश्तेदारी में लेकर गया हो तथा यह भी नकारा कि कोई ऐसा विवाद था जिसमें घर-जवाई बनने जैसी बात हुई हो। पी.डब्ल्यू.-2 के बयानों से यह स्पष्ट है कि वह अपनी पुत्री के वैवाहिक जीवन में उत्पन्न विवाद, दहेज-संबंधी दबाव, अलगाव, पुनरावृत्त समझाइश और पुत्री के पीहर में रहने की स्थिति से परिचित थी।

13- अप्रार्थीगण की ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार प्रार्थीया की साक्ष्य का प्रतिवाद अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी सामग्री, स्वीकृत तथ्यों तथा मामले की समग्र परिस्थितियों के आधार पर यह निर्धारित करना है कि क्या प्रार्थीया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राहत प्राप्त करने की अधिकारी है और यदि हाँ, तो किस सीमा तक।

14- अधिनियम, 2005 की धारा 2(क) के अनुसार “व्यथित व्यक्ति” ऐसी महिला है जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू सम्बन्ध में है या रही है तथा जो प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार होने का कथन करती है। धारा 2(फ) के अनुसार “घरेलू सम्बन्ध” वह सम्बन्ध है जिसमें दो व्यक्ति किसी समय साझा गृह में विवाह या परिवारिक सम्बन्ध के कारण साथ रहे हों। प्रस्तुत मामले में यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी जयंत उर्फ जयेन्द्र के साथ दिनांक 29-01-2015 को हुआ और विवाहोपरान्त वह साझा गृह में ससुराल में रही। राजीनामा, एफ.आई.आर., परिवाद, बाद की घटनाएँ तथा पी.डब्ल्यू.-1 एवं पी.डब्ल्यू.-2 की साक्ष्य इस वैवाहिक सम्बन्ध की पुष्टि करती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया अधिनियम के अर्थ में व्यथित व्यक्ति रही है और अप्रार्थीगण उसके साथ घरेलू सम्बन्ध में रहे हैं।

15- अब यह विचारणीय है कि क्या प्रार्थीया के साथ घरेलू हिंसा कारित हुई।

अधिनियम की धारा 3 घरेलू हिंसा को शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक तथा आर्थिक दुरुपयोग तक विस्तारित करती है। प्रार्थीया के आवेदन एवं शपथ-पत्र में दहेज की मांग, मोटर साईकिल की मांग, बाद में ₹5,00,000/- कार हेतु मांग, गर्भावस्था में उपेक्षा, इलाज न कराना, पुत्री जन्म पर नाराजगी, पीहर भेज देना, पुनः पीहर जाकर दहेज की मांग करना, धमकियाँ देना, स्त्रीधन वापस न करना, अपमानित करना और अश्लील आचरण जैसे गंभीर कथन किये गये हैं। यह सही है कि इन सभी घटनाओं के लिये प्रत्येक अवसर पर पृथक चिकित्सकीय अथवा स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु घरेलू हिंसा के अधिकांश प्रकरण निजी गृह-परिस्थितियों में घटित होते हैं और उनमें प्रत्येक घटना का बाह्य दस्तावेज उपलब्ध होना आवश्यक नहीं माना जा सकता। यदि पीड़िता का कथन सुसंगत हो, परिस्थितियों से समर्थित हो और उसका प्रभावी खण्डन न हुआ हो, तो मात्र इस आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक घटना का अलग दस्तावेज नहीं है।

16- प्रार्थीया के कथनों में निरंतरता है कि विवाहोपरान्त दहेज की मांगें बढ़ती गईं। पहले गाड़ी न देने का ताना, फिर मोटर साईकिल की मांग, बाद में ₹5,00,000/- कार हेतु लाने का दबाव, गर्भावस्था में प्रताड़ना, पुत्री जन्म के बाद अतिरिक्त बोझ के रूप में देखना, और यह कहना कि अब इसका तथा लड़की का खर्च मायके से लाओ, ये सारे तथ्य मौखिक, भावनात्मक तथा आर्थिक घरेलू हिंसा को दर्शाते हैं। यदि अप्रार्थीगण के मन में कोई दुर्भावना नहीं होती, तो इतने विस्तृत घटनाक्रम, पुलिस रिपोर्ट, न्यायालयीन परिवाद, एफ.आई.आर., राजीनामा और उसके बाद पुनः विघटन जैसी परिस्थितियाँ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होतीं। प्रदर्श-1 राजीनामा भी यह संकेत करता है कि पक्षकारों के बीच गंभीर वैवाहिक तनाव और आरोप-प्रत्यारोप उत्पन्न हो चुके थे।

17- आर्थिक दुरुपयोग के संबंध में भी पत्रावली पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। प्रार्थीया ने विस्तार से बताया कि विवाह में दिया गया स्त्रीधन, आभूषण और घरेलू सामान अप्रार्थीगण अपने साथ ले गये, पीहर में छोड़े गये सामान के बदले ₹50,000/- लेकर भी राशि वापस नहीं की गई, तथा उसका अधिकांश सामान अभी भी ससुराल में है। यद्यपि वर्तमान चरण में स्त्रीधन वापसी के लिये पृथक आदेश चाहा नहीं गया है, तथापि यह सारा घटनाक्रम आर्थिक नियंत्रण एवं आर्थिक दुरुपयोग की प्रकृति का सूचक है। इसी प्रकार गर्भावस्था एवं प्रसूति का खर्च मायके द्वारा वहन किया जाना तथा

पिता द्वारा पुत्री कुहु के निर्वाह की समुचित व्यवस्था न करना भी आर्थिक हिंसा के दायरे में आता है।

18- प्रार्थीया ने अपने आवेदन में ससुर द्वारा अश्लील हरकत करने का आरोप भी लगाया है। इस प्रकार के आरोप स्वभावत: गंभीर होते हैं और सामान्यतः निजी वातावरण में घटित होने के कारण स्वतंत्र प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव असामान्य नहीं है। यहाँ इस कथन का कोई प्रभावी खण्डन साक्ष्य के माध्यम से नहीं किया गया। अप्रार्थीगण ने न तो जवाब प्रस्तुत किया, न स्वयं साक्षी के रूप में आये, न किसी अन्य को पेश किया। ऐसी स्थिति में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कम से कम प्रार्थीया का वैवाहिक वातावरण सुरक्षित, सम्मानजनक एवं विश्वसनीय नहीं था और उसे भय, अपमान तथा असुरक्षा का सामना करना पड़ा।

19- अब भरण-पोषण के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है। प्रार्थीया स्वयं पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में अपनी जिरह में तथा उसकी माता पी.डब्ल्यू.-2 अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर चुकी हैं कि प्रार्थीया ने दूसरा विवाह कर लिया है। यह एक स्वीकृत तथ्य है। विधि का सुविख्यात सिद्धान्त है कि स्वीकृत तथ्यों को पृथक रूप से साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः यह न्यायालय इस तथ्य को स्थापित मानता है कि प्रार्थीया का पुनर्विवाह हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को, पूर्व पति से, व्यक्तिगत भरण-पोषण प्रदान करना न्यायसंगत नहीं है। इस कारण प्रार्थीया को व्यक्तिगत रूप से मौद्रिक राहत/भरण-पोषण देने का आधार उपलब्ध नहीं है।

20- किन्तु यह भी उतना ही निर्विवाद है कि नाबालिग पुत्री कुहु उर्फ एंजिल अप्रार्थी जयंत उर्फ जयेन्द्र की संतान है। संतान का अधिकार माता के पुनर्विवाह से समाप्त नहीं होता। पिता का दायित्व अपनी नाबालिग संतान का भरण-पोषण करना है। अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अप्रार्थी जयंत अपनी पुत्री कुहु के लिये नियमित एवं पर्याप्त भरण-पोषण उपलब्ध करा रहा है। स्वयं प्रार्थीया का कथन है कि उसे कुछ नहीं मिला है और पुत्री का पालन-पोषण मायके में हो रहा है। बच्ची की आयु, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, दैनन्दिन आवश्यकताओं तथा वर्तमान जीवन-यापन की लागत को दृष्टिगत रखते हुए ₹5,000/- प्रतिमाह की राशि उचित, न्यायोचित और समुचित प्रतीत होती है। अतः धारा 20 के अंतर्गत मौद्रिक राहत का आदेश प्रार्थीया की नाबालिग पुत्री कुहु उर्फ एंजिल

के लिये पारित किया जाना न्यायसंगत है।

21- धारा 18 के अन्तर्गत संरक्षण आदेश दिये जाने की आवश्यकता भी स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। प्रार्थीया ने अपने आवेदन में यह कहा है कि उसे दहेज की मांग, तानों, गाली-गलौच, धमकियों, अपमान, मानसिक प्रताड़ना और असुरक्षा का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में यह निर्देशित किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थीगण भविष्य में प्रार्थीया तथा उसकी नाबालिग पुत्री के प्रति किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक घरेलू हिंसा कारित नहीं करेंगे, न उन्हें धमकाएँगे, न गाली-गलौच करेंगे, न उनके शांतिपूर्ण जीवन में अवैध हस्तक्षेप करेंगे।

22- धारा 19 के अन्तर्गत वर्तमान में उसके पुनर्विवाह को देखते हुए उसे पूर्व वैवाहिक साझा गृह में पुनर्स्थापित करने का प्रश्न व्यावहारिक नहीं रह गया है, किन्तु निवास संबंधी संरक्षण की अवधारणा केवल पुनः ससुराल भेजने तक सीमित नहीं है। इस अधिनियम का उद्देश्य व्यथित महिला को आवासीय असुरक्षा से बचाना भी है। अतः इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में धारा 19 के अन्तर्गत यह निर्देश देना न्यायोचित होगा कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया तथा उसकी नाबालिग पुत्री के वर्तमान शांतिपूर्ण निवास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें बेदखल कराने, डराने, धमकाने, पीछा करने, संपर्क के माध्यम से परेशान करने अथवा किसी भी प्रकार की अवांछित दखलंदाजी से दूर रहेंगे। इस प्रकार का निवास-सम्बन्धी संरक्षण आदेश इस मामले के तथ्यों के अनुरूप अधिक उपयुक्त है।

23- समस्त विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीया पूजा उर्फ चित्रा उर्फ दीप्ती, अप्रार्थी जयंत की विधिवत विवाहित पत्नी रही है, उसने साझा गृह में निवास किया, उसके साथ दहेज-सम्बन्धी मांगें, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक उपेक्षा, गर्भावस्था में असंवेदनशील व्यवहार, पुत्री जन्म पर अपमान तथा बाद में परित्याग जैसी परिस्थितियाँ रहीं। अप्रार्थीगण ने न तो लिखित जवाब देकर इन कथनों का विधिवत खण्डन किया और न ही कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की। प्रार्थीया के पुनर्विवाह का तथ्य स्वीकृत होने से उसे व्यक्तिगत भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता, किन्तु नाबालिग पुत्री कुहु उर्फ एंजिल के हित में मौद्रिक राहत अवश्य दी जानी आवश्यक है। अतः प्रार्थीया धारा 18 एवं 19 के अन्तर्गत संरक्षणात्मक अनुतोष तथा पुत्री कुहु के लिये धारा 20 के अन्तर्गत मौद्रिक राहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 30.10.2018 से प्राप्त करने की अधिकारी है।

:: <u>आदेश</u> ::

24- फलस्वरूप प्रार्थीया पूजा उर्फ चित्रा उर्फ दीप्ती द्वारा अप्रार्थीगण जयंत उर्फ जयेन्द्र व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

धारा 18 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीया तथा उसकी नाबालिग पुत्री कुहु उर्फ एंजिल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक अथवा आर्थिक घरेलू हिंसा कारित नहीं करेंगे, न उन्हें धमकाएँगे, न गाली-गलौच अथवा अभद्र व्यवहार करेंगे, न उनके शांतिपूर्ण जीवन में अवैध हस्तक्षेप करेंगे।

धारा 19 के अन्तर्गत यह आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया एवं उसकी नाबालिग पुत्री के वर्तमान निवास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे, उनके निवास, आवागमन, शान्तिपूर्ण जीवन तथा सुरक्षा में कोई अवरोध पैदा नहीं करेंगे।

धारा 20 के अन्तर्गत मौद्रिक राहत के रूप में अप्रार्थी सं.1 जयंत उर्फ जयेन्द्र अपनी नाबालिग पुत्री कुहु उर्फ एंजिल के भरण-पोषण हेतु ₹5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) प्रतिमाह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 30.10.2018 अदा करेगा। उक्त राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक देय होगी। प्रार्थीया को व्यक्तिगत भरण-पोषण इस आदेश द्वारा प्रदान नहीं किया जाता, क्योंकि उसके पुनर्विवाह का तथ्य स्वयं उसकी माता के द्वारा स्वीकृत एवं सिद्ध है। अतः प्रार्थीया की हद तक भरण-पोषण का आदेश खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति सम्बन्धित थाना अधिकारी को अनुपालन एवं निगरानी हेतु प्रेषित की जाए तथा एक प्रति प्रार्थीया को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

(डॉ. मनोज तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

25- निर्णय आज दिनांक 10-03-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)